राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/385

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
183 वाद पत्र	118/24 118/24	5/7/24	21/4/25 6/5/25 7/5/25 21/5/25	25/7/24 20/8/24 10/9/24 23/9/24 1/10/24 24/10/2 13/11/2 18/12/2 14/1/2 6/2/ 25/2/ 11/3/ 19/3/ 26/3/ 15/4/

अनवान

श्री पन्नालाल पिता मीठूलाल अहीर

निवासी आडोली

श्री ओमप्रकाश पिता नन्दलाल अ

निवासी आडोली

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडे

डिक्रीदार

श्री सुनील कुमार चौधरी

मदयून

श्री 1, 2, Ex (A

3- पैरोकार सर

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

(1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

पन्नालाल बनाम मोहनलाल

किस्म मुकदमा 183 नम्बर 118 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
4/07/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 25/07/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
25/7/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/8/24 को वास्ते मॉ. तलब पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
20/8/24	पत्रावली पेश हुई समस्त विपक्षीगण को बाद तामील प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी (3) की तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते उचित मोहलत आगामी दि० 10/9/24 को पेश हो	
10/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/9/24 को वास्ते J- आ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
23/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1/10/24 को वास्ते जौते आ० पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

य उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

करण संख्या 118/2024 दायर तारीख 04.07.2024

अनवान्

नालाल पिता जीतमल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियाँ जला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

मोहनलाल पिता नन्दलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

नाथु पिता जीवण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार जोशी– अधिवक्ता वादीगण

2. पैरोकार सरकार

उप खण्ड अधिकारी जिला–भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक:– 21/05/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की अधिकार, आधिपत्य एवं खातेदारी वाली कृषि भूमि मौजा ग्राम झाडौली, पटवार हल्का सलावटियां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 127 पर आराजी संख्या 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज रेकॉर्ड होकर स्थित हैं। खातेदारी हक व अधिकार में है एवं स्वामित्व वादी का ही है और लगान भी वादी राज्य सरकार में जमा कराता चला आ रहा हैं। वादी साल दो साल से उक्त आराजी पर नहीं जा सका प्रतिवादीगण द्वारा वादी की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया वादी द्वारा ऐतराज करने पर प्रतिवादीगण अपनी आराजी की सीमा गलत तरीके से वादी की वादग्रस्त आराजी में बताकर सीमाबंधी या पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत् कहा जिस पर वादी ने दिनांक 29.05.2024 को तहसीलदार महोदय के द्वारा अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाई जिससे यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी पर शनैः– शनैः कब्जा करते हुए सम्पूर्ण आराजी को अपनी आराजी नंबर 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में मिलाकर कब्जा कर लिया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से लगातार 2 का उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही होते हुए भी मुझ वादी की आराजी नम्बर 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है। उक्त बात की जानकारी वादी को पटवार हल्का सलावटिया एवं भू–अभिलेख

लगातार पेज संख्या 02 प

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

निरीक्षक द्वारा मौके की पत्थरगढी दिनांक 29.05.2024 को करवाई तब पता लगा। वादी की खातेदारी आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 – 2 का किसी भी प्रकार हक व अधिकार नहीं होते हुए भी मुझ वादी की आराजी नंबर 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 – 2 ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1–2 को कब्जा नहीं करने व हटा लेने की कहा तो प्रतिवादी संख्या 1–2 लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गये। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादी की वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा बनाये रख रखा हैं और कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अंतिम बार 29.05.2024 को उक्त आराजीयात से कब्जा हटाने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी 1 लगायत 2 कब्जा हटाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए विनायवाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम झाडोली, पटवार हल्का सलावटियां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 127 पर आराजी संख्या 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने अवैध कब्जा कर लिया हैं, उक्त अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान जावें। वादी को दावा दायरी से कब्जा सिपुर्दगी तक का मुआवजा 50 गुना की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1–2 प्रदान की जावें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 से दिलाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 1–2 बावजूद तामील हाजिर नहीं हुये बेरोज पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1–2 को बार बार आवाज दिलायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1–2 गैर हाजिर होने से प्रतिवादी संख्या 1–2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वकील वादी ने मौजा ग्राम झाडोली की नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 पेश की है जो प्रदर्श– 1 हैं एवं पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 29.08.2024 पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी में पी. डल्यू – 1 कन्हैयालाल पिता पन्नालला जाति अहीर निवासी झाडोली के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं। वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

पी. डल्यू – 1 कन्हैयालाल पिता पन्नालला जाति अहीर निवासी झाडोली ने अपने बयान में लिखाया कि पन्नालाल अहीर मेरे पिता हैं। मौजा ग्राम झाडौली, पटवार हल्का सलावटियां, तहसील बिजौलियां में खाता संख्या 127 पर आराजी संख्या 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि पन्नालाल जी के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 मोहनलाल व विपक्षी संख्या 2 नाथु ने बिना अधिकार कब्जा कर रखा हैं। प्रतिवादीगण को हमारी भूमि से बेदखल कर कब्जा सिपूर्द करवाने की कृपा करें।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा